छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक / एफ 5–13 / 2020 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24 / 03 / 2021

प्रति,

डी.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली –110003।

विषयः– Proposal for non-forestry use of 255.3 ha of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for relocation of villages in Mungeli Forest Division from the core area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) -reg.

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-93/2013-FC(pt) , दिनांक 24.11.2020।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / मा.चि. / 115 –818 / 552, दिनांक 25.02.2021।

–––00–––

विषयांकित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 24.11.2020 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।।

2/– उक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के संदर्भित पत्र क्र. 2 दिनांक 25.02.2021 के माध्यम से प्रेषित की गई है। जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–13 / 2020 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24 / 03 / 2021

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/ मा.चि/115–818/552 रायपुर, दिनांक 25/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Proposed for non-forestry use of 255.300 ha. Forest land under Forest Conservation Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for Relocation of villages in Mungeli Forest Division from the Core Area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) – regarding.**

संदर्भ :– 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक 8-93/2013-FC(pt.) दिनांक 24.11.2020

2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक./30 दिनांक 07.01.2021 एवं पत्र क्रमांक/422 दिनांक 15.02.2021

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र –1 द्वारा 07 बिन्दुओं अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र –2 के माध्यम से वांछित जानकारी का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

क्र.	अतिरिक्त जानकारी	पालन प्रतिवेदन
(i)	Proposal involes relocation of total 133 families for wich an area of 255.300 ha. of forest land been proposed for rehabilitation of three villages. Details area calculation statement i,e. forest area proposed for allotment per family and basis of calculation relied thereof and purpose wise breackup of the area proposed for various amenities has not been repoted in the proposal.	अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों (विकल्प–I के तहत् 22 परिवार तथा विकल्प–II के तहत् 111 परिवार प्रस्तावित) का व्यवस्थापन प्रस्तावित है। प्रेषित प्रस्ताव के पेज क्रमांक 13 में व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित स्थल का विवरण तथा पेज क्रमांक 16 के बिन्दु क्रमांक 03 में व्यवस्थापित परिवारों के लिये आवश्यक भूमि का विवरण दिया गया है। व्यवस्थापन प्रस्ताव में भारत सरकार के गाईड लाईन अनुसार 2.30 हे. व्यवस्थापित प्रति परिवार (2.00 हे. कृषि भूमि तथा 0.3 हे. मकान, बाड़ी एवं अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध प्रस्तावित) की गई है। संलग्नक–1

26 FEB 2021

- 7 -Letter Power Palan Pritivadan 2021 (1)

(ii)	The state Govt. may also intimate, if area proposed for various components of rehabilitation has been rationalized based on certain staindardized parameters prescribed/developed in this regard are requirement of proposed area is arbitrary based on the observation and estimation of the state officials.	National Tiger Consevation Authority Ministry of Environment & Forest, Government of India के पत्र क्र./ F.No. 3-1/2003-PT(relocation) Dated Febuary 2008 द्वारा टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम विस्थापन हेतु staindard parameters निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया हैं, एन.टी.सी.ए की गाईडलाईन की छायाप्रति संलग्न हैं। **संलग्नक–2**
(iii)	In the first phase, six villages have been repoted to be relocated from the ATR. Detail area where six villages have been relocated in first phase, forest area, if any, involved an prior approval obtained, etc has not been mantioned in the proposal. Status of relocation done from ATR so far, may bee submitted along with maps may be submitted by the state.	अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से प्रथम चरण में 6 वनग्राम क्रमशः जल्दा, कूबा, बहाउड़, बांकल, बोकराछार, सांभरधसान का व्यवस्थापन भारत सरकार के स्वीकृति दिनांक 10.09.2008 के अनुक्रम में किया गया है। व्यस्थापित किये गये ग्रामों को मानचित्र में अंकित कर एवं व्यवस्थापित ग्रामों के परिवार संख्या एवं स्थल का विवरण संलग्न किया गया है। **संलग्नक – 3**
(iv)	The state Govt. is requested to confirm if the proposal is in compliance of guidelines dated 22.05.2019 issued by the MoEF & CC which, inter alia, provides that area proposed for rehabilitation should be equal to the area proposed to be vacated from the Protected area. Compliance of said Guideliens by the state Govt. cannot be ascertained as the detail of area proposed to be vacated has not been provided in the proposal. The same needs to be provided by the state along with its differential GPS and KML/Shape files. Further, Total area of villages to be relocated, falling in Core/Buffer Area of ATR along with the legal status of land may also be indicated.	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के ग्रामीणों द्वारा रिक्त की जा रही वनभूमि का विवरण, प्रस्तावित स्थल विवरण तथा रिक्त की जा रही क्षेत्र का differential GPS and KML/Shape files संलग्न है। **संलग्नक–4**
(v)	As per earliar proposal, a total of five villages were to be relocated from the ATR while the extant proposal envisages relocation of three villages only, status of relocation of remaining two villages needs to be intimated be the state.	1. द्वितीय चरण में 5 ग्राम क्रमशः सारसडोल, राजक, तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 365 परिवारों का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया था। 2. उपरोक्त प्रस्तावित ग्रामों के व्यवस्थापन प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक

		8–93/2013–एफसी दिनांक 18 मार्च 2015 एवं पत्र क्रमांक 8–93/2013–एफसी दिनांक 17 अप्रैल 2015 द्वारा 2 ग्राम बिरारपानी एवं छिरहट्टा के व्यवस्थापन हेतु चयनित स्थल कक्ष क्रमांक 1254 एवं 1255 के 133.400 हे. क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण अस्वीकृत कर शेष ग्रामों की व्यवस्थापन की स्वीकृति प्रदान की गई । 3. स्वीकृति उपरांत 2 ग्राम सारसडोल एवं राजक के ग्रामीण चयनित स्थल पर व्यवस्थापन हेतु सहमत नहीं हुए जिसके कारण 3 ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों को व्यवस्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। 4. 3 ग्रामों के 133 परिवारों में से 22 परिवारों ने विकल्प 1 का चयन किया गया है तथा शेष 11 परिवारों ने विकल्प 2 का चयन किया गया है इस हेतु 255.300 हे. वन भूमि तथा राशि 13.20 करोड़ रू. आंकलित की गई है जिसकी जानकारी संलग्न है। **संलग्नक–5**
(vi)	Comments of the state on the requirement of forest land proposad earlier for relocation of five villages needs to be furnished. In case the forest land proposed in the old proposal is not required by the state, the same needs to be withdrawn by the state. Comments in this regard needs to be obtained from the state.	द्वितीय चरण में 05 ग्राम क्रमशः तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा, सारसडोल एवं राजक का व्यवस्थापन किया जाना प्रस्तावित किया गया था, जिनमें से 02 ग्राम सारसडोल एवं राजक के ग्रामीणों द्वारा चयनित स्थल पर व्यवस्थापन होने से इन्कार किया जिसके कारण 03 ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी, छिरहट्टा, व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित है। ग्राम सारसडोल के ग्रामीणों द्वारा वन विकास निगम बिलासपुर के कोटा परिक्षेत्र अंतर्गत दक्षिण करपिहा परिसर के कक्ष क्रमांक 126,127,131 का चयन किया गया हैं जिसे आगामी चरण में व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित किया जावेगा। ग्राम राजक के ग्रामीणों द्वारा व्यवस्थापन हेतु अब तक कोई स्थल चयन नहीं किया गया हैं।
(vii)	R&R Plan proposed to be implemented for the rehabilitation of the villagers from the ATR may be submitted by the State Govt.	National Tiger Consevation Authority Ministry of Environment & Forest Government of India के पत्र क्र./ F.No. 3-1/2003-PT(relocation) Dated Febuary 2008 द्वारा टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से ग्राम विस्थापन हेतु staindard parameters निर्धारित की गई हैं, जिसके अनुसार अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों (विकल्प–I के तहत् 22 परिवार तथा विकल्प–II के तहत् 111 परिवार प्रस्तावित) का व्यवस्थापन प्रस्ताव (R&R Plan) तैयार कर राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित की गई थी।

		ग्राम तिलईडबरा, बिरारपानी एवं छिरहट्टा के 133 परिवारों का व्यवस्थापन योजना तैयार किया गया है जो संलग्न है। **संलग्नक–6**

भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.11.2020 के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार जानकारी अनुशंसा सहित प्रस्तुत है। कृपया प्रकरण में भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर से स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :– संलग्नक 1 से 6 तक
(02 प्रति में)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/मा.चि/115–118/553 रायपुर, दिनांक 25/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक**, (वन्य प्राणी), अरण्य भवन, नवा रायपुर।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी**, मुंगेली वन मंडल, मुंगेली, छत्तीसगढ़।
4. **उप संचालक**, अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरमी जिला मुंगेली।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़